

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।

### न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

दाखिल खारिज अपीलवाद संख्या-12/2018-2019

नृपेन्द्र कुमार-वादी

वनाम्

अंचलाधिकारी, अरवल-प्रतिवादी

वादी की ओर से

(1) श्री नृपेन्द्र कुमार (स्वयं)

आदेश

यह दाखिल खारिज अपीलवाद निम्नलिखित भूमि से संबंधित है:-

अनुसूची

तौजी	खाता	प्लॉट	रकबा ए० डी०	चौहद्दी
338	24	121	01-20	—

मौजा-दरवेशपुर, पोस्ट-इंजौर, थाना-रामपुरचौरम, अंचल+जिला-अरवल।

वादी श्री नृपेन्द्र कुमार ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया तथा अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण) जिला-अरवल -सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के आदेश निर्गत संख्या-43811-02915 के आलोक में इस वाद को ग्रहण कर अनुसूची में दर्शाये गये भूमि का जमाबंदी कायम का अनुरोध किया।

इस वाद को अधिग्रहण के विन्दु पर सुना एवं इस वाद पत्र के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

(1) सर्वप्रथम, अंचलाधिकारी, अरवल का आदेश जो दिनांक 30.11.2016 को निर्गत है इसका अवलोकन किया। यह आदेश दाखिल खारिज वाद संख्या-752/2016-2017 श्री नृपेन्द्र कुमार, पिता-स्व० अच्युतानन्द सिंह, जो इस वाद के भी आवेदक है तथा इस वाद पत्र में सन्निहित भूमि से संबंधित है। अंचलाधिकारी, अरवल ने आदेश में उल्लेखित किया है कि श्री नृपेन्द्र कुमार ने पूर्व में दो बार दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया था जिसका आर० टी० पी० एस० संख्या-2170 एवं 321 है जो कि अस्वीकृत किया जा चुका है। दाखिल खारिज वाद संख्या-752/2016-2017 में भी जांचोपरान्त पाया गया है कि विवादित प्लॉट पर खेल का मैदान पूर्व से ही कायम है, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भी दाखिल खारिज का विरोध किया गया है। आवेदक का दखल कब्जा सरजमीन पर कायम नहीं है, सरजमीन खेल के मैदान स्वरूप अवस्थित है। साविक सर्वे खतियान के अनुसार भूमि गैरमजरूआ मालिक किस्म जमीन परती कदीम है।

अंचलाधिकारी, अरवल ने बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र संख्या-15/ला०-03 निति-27/97-914/रा० पटना दिनांक 09.12.1998 के आदेश कंडिका-06 को उल्लेखित किया है। इसके अनुसार जमींदारी की ऐसी भूमि की बंदोबस्ती जिस भूमि का मूल्य सौ रूपया या अधिक था को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-17 के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए थी। अतः इस कारण से भी सादा हुकुमनामा का कोई वैध आधार नहीं रह गया है। (रिवेन्यु कम्पेडियम पेज-190-192)

अंचलाधिकारी, अरवल ने बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम-2011 के

25-10-2018

*(Signature)*

अध्याय-05 की धारा-06 (13) को उद्धृत किया है जिसके अनुसार "हॉल्टिंग या उसके भाग के वैसे मामले में दाखिल खारीज की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिनके हॉल्टिंग या उसके भाग में हित अर्जन करने वाले का उस हॉल्टिंग या इसके भाग पर भौतिक रूप से दखल न हो"।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचलाधिकारी, अरवल ने आवेदक के दाखिल खारीज आवेदन संख्या-752/2016-2017 को अस्वीकृत किया है।

(2) आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा सी० डब्लू० जे० सी० वाद संख्या-16905/2014 में दिनांक 19.02.2015 में पारित आदेश भी वाद पत्र में संलग्न किया है।

इस आदेश से स्पष्ट होता है कि वादपत्र में संलग्न भूमि के दो कट्टे के क्षेत्रफल पर सामुदायिक भवन का निर्माण हो चुका है। इस आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने स्वत्व एवं दखल तथा कथित देय क्षतिपूर्ति मुद्दे पर सक्षम फोरम में जाने हेतु निदेशित किया है।

(3) आवेदक श्री नृपेन्द्र कुमार के द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अरवल में भी अपना पक्ष रखा गया है। इसमें दिनांक 06.09.2017 को निर्गत संख्या-5381102022 से आदेश पारित है।

इस आदेश में अंचलाधिकारी, अरवल के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के द्वारा पक्ष रखा गया जिसमें अंचलाधिकारी, अरवल के द्वारा आवेदक के माँग के विरुद्ध दाखिल खारीज के आवेदन के अस्वीकृति को सही ठहराया गया है।


(4) अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष अपने कार्यालय के पत्रांक 665 दिनांक 19.08.2017, पत्रांक 685 दिनांक 25.08.2017 एवं पत्रांक 711 दिनांक 05.09.2017 से वादपत्र में सन्निहित भूमि के संबंध में अपना पक्ष रखा है। ऐसा ही प्रतिवेदन अपने पत्रांक 999/रा० भू० दिनांक 26.12.2017 के द्वारा अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण) जिला अरवल -सह-प्रथम अपीलिय प्राधिकार में दिया है। इन सभी प्रतिवेदनों से भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल ने अंचलाधिकारी, अरवल के द्वारा दाखिल खारीज हेतु अस्वीकृति के कारणों को समपुष्ट किया है।


(5) अतः उपरोक्त उल्लेखित विन्दुओं से स्पष्ट है कि वादी श्री नृपेन्द्र कुमार का दाखिल खारीज हेतु अपीलवाद इस न्यायालय को स्वीकार नहीं है।

वादी से कहना है कि वाद पत्र में सन्निहित भूमि के संदर्भ में जब तक किसी सक्षम न्यायालय से स्वत्व निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक दाखिल खारीज हेतु अग्रेतर कार्यवाई संभव नहीं है।

अतः अधिग्रहण के विन्दु पर वाद पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

  
प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
अरवल।

  
प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
अरवल।